

राजस्थान सरकार  
वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग

क्रमांक: एफ.5(थ-75)डीटीए/IFMS/WAM /3095-3111 दिनांक 21/9/2021

प्रशिक्षण कार्यक्रम

निर्माण एवं वन विभाग में ऑनलाइन बी.एस.आर. तैयार करने, ऑनलाइन प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, कार्यादेश, जी-शिड्यूल जारी करने एवं ऑनलाइन वर्क आर्डर एम.बी. तैयार करने की प्रक्रिया इस विभाग के परिपत्र दिनांक 01.01.2021 से लागू की जा चुकी है।

निर्माण विभागों/वन विभाग में होने वाले निर्माण कार्यों से संबंधित ठेकेदारों/संवेदकों को वर्क आर्डर एम.बी. मॉड्यूल में उनसे सम्बद्ध प्रावधानों तथा इस मॉड्यूल के अन्तर्गत उनके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के संबंध में उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। इस हेतु निम्न प्रकार ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है :-

क्र.सं.	प्रशिक्षणार्थियों का विवरण	प्रशिक्षण की तिथि एवं समय
1.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं वन विभाग से सम्बद्ध ठेकेदारों/संवेदकों हेतु।	दिनांक 28.09.2021 को 11.00 A.M.
2.	जल संसाधन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सी.ए.डी. विभाग से सम्बद्ध ठेकेदारों/संवेदकों हेतु।	दिनांक 28.09.2021 को 3.00 P.M.

ऑनलाइन मीटिंग के लिए लिंक बैठक से 1 घन्टा पूर्व संबंधित विभाग के वित्तीय सलाहकार की ई-मेल आई.डी. पर उपलब्ध करवा दिया जायेगा।

भवदीय

(आशुतोष वाजपेयी)  
संयुक्त शासन सचिव

3095-3111

21/9/2021

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, अरण्य भवन, झालाना, जयपुर
2. निदेशक, कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर
3. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, जयपुर
4. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर
5. मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर/ जैसलमेर
6. विकास आयुक्त, सी.ए.डी. कोटा
7. विकास आयुक्त, सी.ए.डी. बीकानेर
8. वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, अरण्य भवन, झालाना डूंगरी, जयपुर/  
जल संसाधन विभाग/जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग/इंदिरा गांधी  
नहर परियोजना, बीकानेर/जैसलमेर/सी.ए.डी. कोटा एवं बीकानेर को  
प्रेषित कर लेख है कि उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपने विभाग से संबंधित  
ठेकेदारों/संवेदकों को प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु निर्देशित कराने का श्रम  
करावें।
9. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. पुराना रिकार्ड भवन, शासन  
सचिवालय जयपुर
10. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. (वॉम), वित्त भवन, जयपुर को  
प्रेषित कर लेख है कि प्रशिक्षण हेतु आवश्यक व्यवस्था कर ऑनलाइन  
लिंक उपलब्ध कराने का श्रम करावें।
11. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग को साई 2 पर  
अपलोड कराने हेतु।

संयुक्त शासन सचिव